

भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग / Govt. of India, Dept. of Space
 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन / Indian Space Research Organisation
 भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान / Indian Institute of Remote Sensing
 4, कालीदास रोड, देहरादून-248001 / 4, Kalidas Road, Dehradun - 248001
 उत्तराखण्ड / Uttarakhand
 दूरभाष / PH : 0135-2524318 / 4317, फैक्स / FAX : 0135-2748041
 ई-मेल / E-mail : pns@iirs.gov.in

स्कैप की बिक्री / Sale of Scrap

भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून द्वारा स्कैप के निष्कासन अथवा कंडम आइटम विवरण निविदा दस्तावेज सं०-आई०आई०आर०एस०/पी०एंड०एस०/डी०आई०एस०पी०/2014/01 दिनांक-03.11.2014 के संलग्न IV के अनुसार हेतु मोहरबंद बोलीयां आमंत्रित की जाती है।

On behalf of President of India, Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun invites sealed tenders for Sale and Removal of Scrap or condemned Items as detailed in Annexure IV of Tender Document No. IIRS/P&S/DISP/2014/01 dated-03-11-2014

निविदा शुल्क / Tender Fee	₹ 227 /-
निविदा प्रारूप जारी करने की अंतिम तिथि / Last date for issue of Tender Forms	28.11.2014, 11:00 बजे तक / upto 11:00 hrs
निविदा स्वीकृति की नियत तिथि / Due date for Receipt of Tender	01.12.2014, 12:00 बजे तक / upto 12:00 hrs
बोलियां खोलने की तिथि / Date of opening of Bids	01.12.2014, 15:00 बजे / 15:00 hrs

निविदा प्रपत्र किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से देहरादून में भुगतान योग्य, वेतन एवं लेखा अधिकारी, आई० आई० आर० एस० के पक्ष में जारी ₹ 227/- का डिमांड ड्राफ्ट जमा करके क्रय एवं भंडार अनुभाग, आई० आई० आर० एस० से दिनांक 12.11.2014 से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं अथवा www.iirs.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि निविदा दस्तावेज वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो ₹ 227/- का डिमांड ड्राफ्ट जो वेतन एवं लेखा अधिकारी, आई० आई० आर० एस०, देहरादून के पक्ष में देय हो, बोली के साथ मूल रूप में निविदा प्रस्तुतीकरण के समय अवश्य संलग्न करें।

Tender forms can be purchased from Purchase & Stores Section, IIRS on all working days from 12.11.2014 on payment of ₹ 227/- in the form of Demand Draft issued from any Nationalized/Scheduled Bank drawn in favour of Pay & Accounts officer, IIRS Dehradun payable at Dehradun or can be downloaded from www.iirs.gov.in. When tender forms are downloaded from website, a Demand Draft for ₹ 227/- drawn in favour of Pay & Accounts officer, IIRS Payable at Dehradun should be attached in original with tender document at the time of submission.

निदेशक / Director

S.No	Name of Newspaper	Published Date & Day
1	Hindustan (National Hindi)	06-11-2014, Thursday
2	Amar Ujala (Local Hindi)	06-11-2014, Thursday
3	Doon Darpan (Local Hindi)	06-11-2014, Thursday

भा.सु.सं.सं./क्र.एवं भं./निपटान/2014/01

सेवा में,

क्रय एवं भंडार अधिकारी
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान
4 कालिदास मार्ग, देहरादून-248001

महोदय,

विषय: क्रय एवं भंडार अधिकारी, भा.सु.सं.सं. द्वारा संलग्न अनुसूची में वर्णित कबाड़/स्क्रेप सामग्री के क्रय व अपनयन हेतु निविदा।

मैं/हम एतद्वारा विषयक कार्य हेतु अपनी निविदा/बोली प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं और यह वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि मेरी/हमारी निविदा/बोली स्वीकार हो जाती है तो उक्त अनुसूची तथा संलग्न निविदा में दर्ज विक्रय की निबंधन एवं शर्तों व उसमें दर्ज दरों के अनुसार मैं/हम बेंचे गए कबाड़/स्क्रेप सामग्री के समस्त लॉट/ढेरों को खरीदेंगे तथा उनका अपनयन करेंगे। आपके द्वारा स्वीकृति पत्र के जारी/निर्गत होते ही विक्रय पूर्ण/समाप्त हो जाएगा/समझा जाएगा तथा यह मुझ/हम पर बाध्यकारी होगा। स्वीकृति पत्र के जारी/निर्गत होने के उपरांत विक्रय आबंध का निर्वाह न करना विक्रय भंग माना जाएगा तथा ऐसी दशा में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान द्वारा बयाना/अग्रिम धन/प्रतिभूति जमा की ज़बती तथा उक्त सामग्री का क्रेता/खरीदार की जोखिम व लागत पर विक्रय हेतु की गई कार्रवाई मुझ/हम पर बाध्यकारी होगी।

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या संस्थान द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा निविदा स्वीकृति पत्र के पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषण को मेरे/हमारे द्वारा उक्त स्वीकृति पत्र अथवा संबंधित प्रलेख की प्राप्ति माना जाएगा।

मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविदा करने हेतु सर्वथा पात्र हूँ/हैं।

मैं/हम एतद्वारा ऐसी समस्त कबाड़/स्क्रेप सामग्री की कीमत अदा करने का वचन देता हूँ/देते हैं, जिसके लिए मेरी/हमारी निविदा को वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून-248001 द्वारा संस्थान के द्वारा निर्गत/जारी निविदा के निबंधन एवं शर्तों तथा सलाह/संज्ञापन के अधीन स्वीकृत किया गया है। मैं/हम एतद्वारा परस्पर संवाद तथा पत्र व्यवहार हेतु मेरा/हमारा

टेलीफ़ोन/दूरभाष संख्या/नं., फ़ैक्स संख्या/नं., ईमेल आई.डी. तथा अपना पता भी प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

मैंने/हमने निविदा प्रलेख में वर्णित विकराव की निबंधन एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उक्त निबंधन एवं शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे।

भवदीय

हस्ताक्षर:

नाम (स्पष्ट अक्षरों में लिखें):

पूरा पता: _____

टेलीफ़ोन नं. (लैंड लाइन):

मोबाइल नं:

फ़ैक्स:

ईमेल:

दिनांक:

भा.सु.सं.सं./क्र.एवं भं./निपटान/2014/01

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान,
देहरादून-248001

विक्रय के निबंधन एवं शर्तें

1. निदेशक, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान किसी निविदाकार की उच्चतम बोली/प्रस्ताव को स्वीकृत न करने अथवा ऐसा करने का कारण बताने हेतु बाध्य नहीं होंगे। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के पास किसी निविदा द्वारा/में मदों के पूर्ण अथवा किसी भाग हेतु लगाई गई बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
2. यदि किसी निविदा को निविदा अनुसूची के विहित फॉर्म/प्रपत्र में प्रस्तुत/जमा नहीं किया जाता है तो उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाकार का हस्ताक्षर, पूरा पता तथा टेलीफोन नं. विनिर्दिष्ट स्थान पर अवश्य उपलब्ध/वर्णित होना चाहिए। निविदाकार को चाहिए कि वह अनुसूची तथा निबंधन व शर्तों के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करे।
3. निविदा प्रस्तुत/जमा होने के साथ ही यथा प्रस्तुत प्रभावी होगी। ऐसी निविदा में किसी भूल या अन्यथा किसी कारण के निविदाकार द्वारा या उसकी ओर से किसी के द्वारा किए गए या प्रयासित किसी प्रकार के आशोधन, दोष-सुधार अथवा परिवर्तन के होते हुए भी निविदा उसी रूप में प्रभावी होगी जिस रूप में वह मूलतः प्रस्तुत/तैयार की गई थी। किसी निविदा या उसके किसी भाग को भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान द्वारा उसके मूल रूप में स्वीकार किया जाना जिस मूल रूप में उक्त निविदा प्रस्तुत/तैयार की गई थी निविदाकार पर बाध्यकारी होगा, चाहे इसके लिए संस्थान द्वारा उक्त निविदा में किसी प्रकार के आशोधन, दोष-सुधार अथवा परिवर्तन हेतु निविदाकार द्वारा भेजी गई किसी सूचना को उक्त स्वीकृति के पहले ही प्राप्त कर लिया गया हो।
4. निविदा को निविदा फॉर्म/प्रपत्र के साथ एक अलग सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत/जमा किया जाना चाहिए जिसके ऊपर लिखा हुआ हो "निविदा संख्या..... अंतिम तिथि कबाड़/स्क्रेप सामग्री के क्रय व अपनयन हेतु निविदा, लॉट/ढेर संख्या....." प्रस्तुत की गई निविदाएँ जमा करने की अंतिम तिथि से कम से कम 90 दिनों की अवधि तक स्वीकार्यता हेतु वैध मानी जाएंगी। एक से अधिक लॉटों/ढेरों हेतु बोली लगाने के इच्छुक निविदाकारों को प्रत्येक लॉट/ढेर हेतु अलग निविदा/बोली प्रस्तुत करना होगा।

5. निविदाकारों को चाहिए कि वे अनुसूची में वर्णित लॉट/ढेर संख्या व दर/रेट के अनुसार/के लिए ही निविदा प्रस्तुत करें, जिसकी डिलिवरी भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून-248001 परिसर में उस साइट पर ही दी जाएगी जहां लॉट/ढेर उपलब्ध हैं।

6. निविदाकारों को चाहिए कि निविदा में अपनी बोली/दरों को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी भरें। निविदा में किसी भी प्रकार के सुधार पर निविदाकार द्वारा आद्यक्षर किया जाना चाहिए। ऐसा न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। अंकों व शब्दों में दर्शाई गई दरों में यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो शब्दों में अंकित दरों को ही सही माना जाएगा।

7. निविदाकारों को चाहिए कि वे बयाना जमा को रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत करें जो वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून-248001 को देय हो। यद्यपि एक से अधिक लॉटों/ढेरों हेतु बोली लगाने के इच्छुक निविदाकार समस्त लॉटों हेतु संयुक्त/एक ही डिमांड ड्राफ्ट द्वारा बयाना जमा प्रस्तुत कर सकते हैं, तथापि प्रत्येक लॉट/ढेर हेतु बोली को अलग-अलग ही प्रस्तुत करना होगा।

8. बयाना जमा/राशि के बिना प्राप्त हुई निविदाओं/बोलियों को सीधे अस्वीकार/खारिज कर दिया जाएगा।

9. निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने पर असफल निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत बयाना जमा/राशि को यथोचित समय पर लौटा दिया जाएगा। सफल निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत बयाना जमा/राशि को लॉटों/ढेरों के मूल्य के तौर पर/में समायोजित करने हेतु रख लिया जाएगा।

10. बयाना जमा/राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

11. सफल निविदाकार/निविदाकारों को स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाएगा। स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के पश्चात सफल निविदाकार/निविदाकारों को अपनी स्वीकृत बोली में से बयाना जमा/राशि को घटा/समायोजित कर बची हुई राशि को स्वीकृति पत्र निर्गत/जारी होने की तिथि से 20 दिनों के भीतर रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा जो वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून-248001 को देय हो, ताकि विक्रय प्रक्रिया पूर्ण हो सके। ऐसा न कर पाने की दशा में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान को दोषी/चूककर्ता निविदाकार द्वारा प्रस्तुत बयाना जमा/राशि को जब्त करने का अधिकार होगा। सफल निविदाकार/निविदाकारों द्वारा विक्रय मूल्य की राशि जमा करने के उपरांत ही उन्हें संबंधित विक्रय आदेश निर्गत/जारी किया जाएगा।

12. विलंब से प्रेषित विक्रय/भंडार मूल्य राशि हेतु निदेशक, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान अपने विवेकाधिकार के अंतर्गत न्यायसंगत समयावधि हेतु समय-विस्तार दे सकते हैं, जिसके लिए प्रचलित बैंक दर से दो प्रतिशत/2% अधिक दर पर ब्याज देय होगा जो संज्ञापन में वर्णित मुक्त समयावधि की समाप्ति के पश्चात न्यूनतम ₹100/- प्रति दिवस होगा। स्वीकृति पत्र निर्गत/जारी होने की तिथि से 30 दिनों के बाद किसी भी प्रकार का समय-विस्तार नहीं दिया जाएगा। 30वें दिन की समाप्ति के पश्चात बयाना जमा/राशि को ज़ब्त कर लिया जाएगा। विक्रय मूल्य केवल डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय होगा तथा उक्त ड्राफ्ट से नकद वसूली/प्राप्ति की तिथि को ही भुगतान तिथि माना जाएगा।

13. कबाड़/स्क्रेप सामग्री के लॉट/ढेर भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के अधिकारियों अथवा संस्थान द्वारा विधिवत नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के अधीन होंगे। ऐसे अधिकारियों/प्रतिनिधियों को अधिकार/शक्ति प्राप्त होगा/होगी कि वे क्रेता को डिलिवरी दिये जाने के समय उक्त बिकी हुई सामग्री में से ऐसी किसी भी सामग्री को हटा सकेंगे जो उनके विचार में कबाड़/स्क्रेप की परिभाषा/वर्गीकरण में नहीं आती है। ऐसे मामलों में निदेशक, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

14. निविदा में विनिर्दिष्ट मात्रा लगभग/सन्निकट है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उक्त सामग्री/सामग्रियों की मात्राओं से सम्बद्ध विवरण या दशा या अवयव से संबंधित किसी त्रुटि के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की भिन्नता हेतु कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। किसी भी दशा में निविदाकारों को पृथक्करण तथा/अथवा सोच विचार के चुनने की अनुमति नहीं दे जाएगी।

15. डिलिवरी में होने वाले किसी भी प्रकार के विलंब हेतु भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

16. यदि सामग्री को पैक करने की आवश्यकता होती है तो इससे संबंधित व्यवस्था क्रेता द्वारा स्वयं की जाएगी तथा सामग्री की पैकिंग भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के कर्मचारियों की उपलब्धता में की जाएगी।

17. यदि निविदाकार अनुज्ञप्त अवधि के भीतर कबाड़/स्क्रेप सामग्री को संस्थान परिसर से नहीं हटा पाता है तो निविदाकार से लॉट/लाटों अथवा लॉट/लाटों के किसी भाग के मूल्य पर तथा साइट जहां सामग्री संग्रहीत के अनुसार है 0.50% प्रति दिवस या ₹100/- प्रति दिवस जो भी उच्चतम हो की दर से भू-कर/किराया लिया जाएगा। कबाड़/स्क्रेप सामग्री के संस्थान परिसर से अपनयन के लंबित रहने की स्थिति में किसी भी सामग्री हेतु भारतीय सुदूर संवेदन संविधान का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। यदि उक्त सामग्री या उसके किसी भाग का अपनयन संस्थान द्वारा विक्रय आदेश निर्गत/जारी होने के बाद से 25 दिनों से अधिक अवधि तक लंबित रहता है तो उक्त विक्रय को रद्द कर दिया जाएगा तथा सामग्री को क्रेता को बिना कोई पूर्व सूचना दिये तथा क्रेता के जोखिम पर पुनः निविदा जारी करके अथवा नीलामी

द्वारा अथवा अन्यथा अथवा उच्चतम-2/H2 को बेचा जा सकेगा और ऐसी दशा में धारा 18 में वर्णित शर्त लागू होगी।

18. क्रेता को विक्रय आदेश निर्गत/जारी करने की तिथि के पश्चात सामग्री में होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन अथवा अपकर्ष के कारण अथवा अन्य किसी कारण से होने वाली हानि हेतु भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा। क्रेता को विक्रय किए गए/आवंटित किसी सामग्री अथवा सामग्रियों के स्टॉक के कारण होने वाली किसी आग की घटना/दुर्घटना/विस्फोट आदि के लिए क्रेता ही उत्तरदायी होगा/क्रेता को उत्तरदायित्व लेना होगा। उक्त घटनाओं से उत्पन्न होने वाले समस्त परिणामों व प्रभावों हेतु क्रेता द्वारा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान को क्षतिपूर्ति की जाएगी।

19. यदि क्रेता यहाँ निहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उन सभी या कुछ वस्तुओं/सामग्रियों हेतु भुगतान करने में विफल होता है या भुगतान की उपेक्षा करता है या भुगतान करने से मना कर देता है, जिसके लिए क्रेता को भुगतान करने हेतु कहा गया है तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ऐसी वस्तुओं/सामग्रियों को बिना क्रेता को कोई सूचना दिये नीलामी द्वारा या अन्यथा विक्रय कर सकेगा। ऐसी स्थिति में यदि वस्तुओं/सामग्रियों के विक्रय से प्राप्त धनराशि मूल/चूककर्ता क्रेता से प्राप्त होने वाली धनराशि से कम होती है तो उक्त विक्रय के कारण हुई हानि के साथ-साथ विक्रय प्रक्रिया पर आए खर्च की वसूली मूल/चूककर्ता क्रेता से की जाएगी। परंतु यदि ऐसे विक्रय से प्राप्त धनराशि मूल/चूककर्ता क्रेता से प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक होती है तो इसका/इस अंतर का लाभ भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान को प्राप्त होगा तथा मूल/चूककर्ता क्रेता को इस संबंध में किसी प्रकार का मुआवजा/क्षतिपूर्ति या धनराशि देय नहीं होगा/होगी।

20. किसी भी परिस्थिति में क्रेता उक्त विक्रय को या उसके किसी भाग को या उससे जुड़े किसी हित को साझा करने हेतु किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को नियुक्त अथवा हस्तांतरित अथवा उनके अधीन नहीं करेगा और किसी भी अन्य पार्टी को उक्त कार्य के प्रबंधन या निष्पादन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। भारत संघ के राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते हुए निदेशक, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान को निम्नलिखित परिस्थितियों में उक्त विक्रय को बिना कोई सूचना दिये समाप्त करने का अधिकार होगा:-

- (क) यदि एकमात्र क्रेता की मृत्यु हो जाती है अथवा फ़र्म के मामले में यदि एक या एक से अधिक पार्टनर/साझेदार की मृत्यु हो जाती है।
- (ख) यदि एकमात्र क्रेता दिवालिया हो जाता है अथवा फ़र्म के मामले में यदि एक या एक से अधिक पार्टनर/साझेदार दिवालिया हो जाता है अथवा यदि वह/वे इस संबंध में अपनी याचिका/अर्जी प्रस्तुत करते हैं अथवा यदि उसके/उनके खिलाफ या उनके दिवालिया होने के संबंध में कोई याचिका/अर्जी प्रस्तुत की जाती है अथवा यदि वह/वे उक्त वस्तुओं/सामग्रियों हेतु किसी के पक्ष में कोई व्यवस्था करते हैं या किसी को नियुक्त

करते हैं अथवा (यदि क्रेता एक निगमित कंपनी है) यदि कंपनी के विरुद्ध समापन आदेश जारी कर दिया जाता है अथवा यदि कंपनी स्वैच्छिक रूप से समापन का निश्चय कर लेती है।

21. विक्रय की अवधि में जिन वस्तुओं/सामग्रियों हेतु क्रेता की निविदा स्वीकृत की गई है, उसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर उपलब्ध वस्तुओं/सामग्रियों पर क्रेता को कोई भी दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

22. क्रेता वस्तुओं/सामग्रियों की केवल उसी मात्रा पर दावा कर सकेगा जिसकी डिलिवरी हेतु उसे मूलतः/वास्तविक रूप से विक्रय आदेश दिया गया था। उक्त मात्रा के अतिरिक्त वस्तुओं/सामग्रियों की अन्य किसी मात्रा पर क्रेता को कोई भी दावा करने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि, वास्तविक डिलिवरी दिये जाने से पूर्व किसी भी स्तर पर तथा उभय पक्ष के प्रति किसी वचनबद्धता के बगैर, वस्तुओं/सामग्रियों की पूरी अथवा आंशिक डिलिवरी को प्रशासन के उपयोग हेतु विधारित किया जा सकता है।

23. वस्तुओं/सामग्रियों की डिलिवरी लेने की इच्छित तिथि/दिन हेतु क्रेता को संबन्धित कार्यालय को कम से कम तीन दिनों की पूर्व सूचना देना होगा।

24. इस विक्रय के निष्पादन/कार्यान्वयन के दौरान यदि विक्रय की जाने वाली वस्तुओं/सामग्रियों से संबंधित कोई विषय प्रश्नगत होता है तो क्रेता को निदेशक, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या उनकी ओर से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिये गए निर्णय का पालन करना होगा।

25. अन्य शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, यदि क्रेता का विक्रय कार्य/प्रक्रिया में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करता है अथवा विक्रय के किसी/किन्हीं निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करता है तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान को उक्त विक्रय को तत्काल रद्द करने तथा निदेशक, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के विवेकाधिकार द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण बयाना जमा/राशि या किसी भाग को ज़ब्त करने का अधिकार होगा।

26. इस विक्रय में जो उपबंधित है उसके सिवाय समस्त सूचना भारत संघ के राष्ट्रपति की ओर से जारी की जाएगी तथा इस संदर्भ में समस्त कार्रवाई भारत संघ के राष्ट्रपति की ओर से निदेशक, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून-248001 द्वारा की जाएगी।

27. इस विक्रय या अन्य किसी विक्रय की प्राप्ति या निष्पादन हेतु यदि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के किसी अधिकारी, कर्मचारी या प्रतिनिधि या इनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार रिश्वत/घूस, कमीशन/दलाली, उपहार या लाभ देने हेतु कोई क्रेता या क्रेता की ओर से उसका

पार्टनर/साझेदार, एजेंट, कर्मचारी या कोई अन्य किसी प्रकार का कोई वचन या प्रस्ताव देने का दोषी पाया जाता है तो क्रेता/संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाएगी तथा क्रेता हेतु स्वीकृत इस तथा अन्य विक्रय को रद्द करने के साथ-साथ उक्त रद्दकरण के कारण होने वाले किसी/समस्त हानि/हानियों भरपाई दोषी क्रेता से ही की जाएगी।

28. उक्त विक्रय के अंतर्गत होने वाला भुगतान भारत संघ के राज्य/कार्य क्षेत्र में ही किया जाएगा सिवाय उसके जहां विहित के अन्यथा कार्य करने हेतु अप्रतिरोध्य कारण हों।

29. इस विक्रय के किसी निबंधन एवं शर्तों या धाराओं की रचना/अभिप्राय या निर्वचन या विक्रय से संबंधित कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद आदि यदि उत्पन्न होता है तो उसे निदेशक, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून-248001 द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा। एकमात्र मध्यस्थ के रूप में मध्यस्थ का निर्णय उभय पक्ष/दोनों पार्टियों के लिए अंतिम व बाध्यकारी होगा।

क्रय एवं भंडार अधिकारी
कृते भारत संघ के राष्ट्रपति

निविदा प्रक्रिया विशेष निबंधन एवं शर्तें

1. निविदाकर्ता को अपने पता एवं पहचान पत्र दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य है।
2. यदि इच्छुक व्यक्ति निविदा दस्तावेज़ को भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के क्रय एवं भंडार कार्यालय से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना पता, पहचान पत्र दस्तावेज़ की प्रतिलिपि एवं निविदा शुल्क (मूल रूप में) जमा करना होगा। उसके उपरांत ही उक्त दस्तावेज़ जारी किया जाएगा।
3. यदि निविदा दस्तावेज़ भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की वेबसाइट www.iirs.gov.in से डाउनलोड किया जाता है तो निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज़ के साथ अपना पता, पहचान पत्र दस्तावेज़ की प्रतिलिपि एवं निविदा शुल्क (मूल रूप में) को संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी निविदा मान्य नहीं होगी।
4. एक स्क्रेप लॉट की निविदा डालने हेतु, सिर्फ एक ही लिफाफा मान्य होगा जिसमें उससे संबन्धित संलग्नक-III एवं आग्रिम धनराशि सम्मिलित होगी | संयुक्त अग्रिम धनराशि मान्य नहीं होगी |
5. लॉट दिखाने की प्रक्रिया दिनांक 12-11-2014 से आरंभ होगी। लॉट देखने का समय सभी कार्यदिवस में अपराह्न 3:00 बजे से सांय 5:00 बजे के मध्य होगा। निविदाकर्ता इस संबंध में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के क्रय एवं भंडार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
6. निविदा डालने का समय दिनांक 12-11-2014 से दिनांक 01-12-2014 दोपहर 12:00 बजे तक होगा।
7. दिनांक 01-12-2014 को अपराह्न 3:00 बजे टेंडर बॉक्स / निविदा खोली जाएगी ।



क्रय एवं भंडार अधिकारी
कृते भारत संघ के राष्ट्रपति

भा.सु.सं.सं./क्र.एवं भं./निपटान/2014/01

प्रस्ताव संरूप/प्रपत्र

(निविदाकार द्वारा भरा जाए/के उपयोगार्थ। प्रत्येक लॉट/ढेर हेतु अलग संरूप/प्रपत्र का उपयोग किया जाए)

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान में साइट पर कबाड़/स्क्रेप सामग्री की डिलिवरी हेतु प्रस्ताव।

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. | लॉट/ढेर संख्या: | 01 |
| 2. | लॉट विवरण: | इलैक्ट्रॉनिक आइटम स्क्रेप |
| 3. | सन्निकट/लगभग मात्रा: | |
| 4. | (i) बयाना जमा/राशि: | 01 लॉट |
| | (ii) डिमांड ड्राफ्ट संख्या: | _____ |
| 5. | प्रस्तावित बोली/दर (अंकों में): | ₹ _____ |
| | प्रस्तावित बोली/दर (शब्दों में): | _____ मात्र |
| 6. | विक्रय/बिक्री कर: | वैट 5% की दर से |
| 7. | अन्य टैक्स व शुल्क, यदि कोई हो: | लागू नहीं |
| 8. | टैक्स व शुल्क को मिलाकर कुल लागत: | ₹ _____ |
| 9. | क्रेता का नाम: | _____ |
| | फ़र्म का नाम: | _____ |
| | पता: | _____ |
| | | _____ |
| | | _____ |
| | टेलीफ़ोन नं: | _____ |
| | मोबाइल नं: | _____ |
| | फ़ैक्स नं: | _____ |
| | ईमेल आइ.डी.: | _____ |

नोट:

1. डिलिवरी के समय कबाड/स्क्रेप सामग्री के विक्रय पर यथा लागू विक्रय/बिक्री कर तथा अन्य टैक्स आरोप्य होंगे।
2. प्रस्तुत की गई निविदाएँ उन्हें खोलने की तिथि से कम से कम 90 दिनों की अवधि तक स्वीकार्यता हेतु वैध मानी जाएंगी।
3. सफल निविदाकारों को भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान द्वारा निर्देश प्राप्त होंगे।
4. सफल निविदाकारों को संस्थान के कार्य दिवस के दौरान लॉट/ढेरों को उठाने/हटाने/ढोने हेतु पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों/मजदूरों एवं उपयुक्त वाहनों को लगाना होगा।

मैं/हम.....जो.....
..... (स्थान) पर व्यवसाय करता हूँ/करते हैं, एतद्वारा लॉट/ढेर संख्या
..... को क्रय करने तथा उसे हटाने/उसके अपनयन हेतु निविदा में प्रस्तुत की गई
दरों/लगाई गई बोली पर तथा उपरोक्त एवं संलग्न निबंधन एवं शर्तों के अधीन अपने सहमति व्यक्त
करता हूँ/करते हैं।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

भा.सु.सं.सं./क्र.एवं भं./निपटान/2014/01

प्रस्ताव संरूप/प्रपत्र

(निविदाकार द्वारा भरा जाए/के उपयोगार्थ। प्रत्येक लॉट/ढेर हेतु अलग संरूप/प्रपत्र का उपयोग किया जाए)

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान में साइट पर कबाड़/स्क्रेप सामग्री की डिलिवरी हेतु प्रस्ताव।

- | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | लॉट/ढेर संख्या: | 02 |
| 2. | लॉट विवरण: | पुराना फर्नीचर एवं लकड़ी का स्क्रेप |
| 3. | सन्निकट/लगभग मात्रा: | |
| 4. | (i) बयाना जमा/राशि: | 01 लॉट |
| | (ii) डिमांड ड्राफ्ट संख्या: | _____ |
| 5. | प्रस्तावित बोली/दर (अंकों में): | ₹ _____ |
| | प्रस्तावित बोली/दर (शब्दों में): | _____ मात्र |
| 6. | विक्रय/बिक्री कर: | वैट 13.5% की दर से |
| 7. | अन्य टैक्स व शुल्क, यदि कोई हो: | लागू नहीं |
| 8. | टैक्स व शुल्क को मिलाकर कुल लागत: | ₹ _____ |
| 9. | क्रेता का नाम: | _____ |
| | फ़र्म का नाम: | _____ |
| | पता: | _____ |
| | | _____ |
| | टेलीफोन नं: | _____ |
| | मोबाइल नं: | _____ |
| | फैक्स नं: | _____ |
| | ईमेल आइ.डी.: | _____ |

नोट:

1. डिलिवरी के समय कबाड/स्क्रेप सामग्री के विक्रय पर यथा लागू विक्रय/बिक्री कर तथा अन्य टैक्स आरोप्य होंगे।
2. प्रस्तुत की गई निविदाएँ उन्हें खोलने की तिथि से कम से कम 90 दिनों की अवधि तक स्वीकार्यता हेतु वैध मानी जाएंगी।
3. सफल निविदाकारों को भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान द्वारा निर्देश प्राप्त होंगे।
4. सफल निविदाकारों को संस्थान के कार्य दिवस के दौरान लॉट/ढेरों को उठाने/हटाने/ढोने हेतु पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों/मजदूरों एवं उपयुक्त वाहनों को लगाना होगा।

मैं/हम.....जो.....
..... (स्थान) पर व्यवसाय करता हूँ/करते हैं, एतद्वारा लॉट/ढेर संख्या
..... को क्रय करने तथा उसे हटाने/उसके अपनयन हेतु निविदा में प्रस्तुत की गई
दरों/लगाई गई बोली पर तथा उपरोक्त एवं संलग्न निबंधन एवं शर्तों के अधीन अपने सहमति व्यक्त
करता हूँ/करते हैं।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

भा.सु.सं.सं./क्र.एवं भं./निपटान/2014/01

प्रस्ताव संरूप/प्रपत्र(निविदाकार द्वारा भरा जाए/के उपयोगार्थ। प्रत्येक लॉट/ढेर हेतु अलग संरूप/प्रपत्र का उपयोग किया जाए)

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान में साइट पर कबाड़/स्क्रेप सामग्री की डिलिवरी हेतु प्रस्ताव।

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | लॉट/ढेर संख्या: | 03 |
| 2. | लॉट विवरण: | धातु का स्क्रेप |
| 3. | सन्निकट/लगभग मात्रा: | |
| 4. | (i) बयाना जमा/राशि: | 01 लॉट |
| | (ii) डिमांड ड्राफ्ट संख्या: | _____ |
| 5. | प्रस्तावित बोली/दर (अंकों में): | ₹ _____ |
| | प्रस्तावित बोली/दर (शब्दों में): | _____ मात्र |
| 6. | विक्रय/बिक्री कर: | वैट 5% की दर से |
| 7. | अन्य टैक्स व शुल्क, यदि कोई हो: | लागू नहीं |
| 8. | टैक्स व शुल्क को मिलाकर कुल लागत: | ₹ _____ |
| 9. | क्रेता का नाम: | _____ |
| | फर्म का नाम: | _____ |
| | पता: | _____ |
| | | _____ |
| | टेलीफोन नं: | _____ |
| | मोबाइल नं: | _____ |
| | फैक्स नं: | _____ |
| | ईमेल आइ.डी.: | _____ |

नोट:

5. डिलिवरी के समय कबाड़/स्कैप सामग्री के विक्रय पर यथा लागू विक्रय/बिक्री कर तथा अन्य टैक्स आरोप्य होंगे।
6. प्रस्तुत की गई निविदाएँ उन्हें खोलने की तिथि से कम से कम 90 दिनों की अवधि तक स्वीकार्यता हेतु वैध मानी जाएंगी।
7. सफल निविदाकारों को भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान द्वारा निर्देश प्राप्त होंगे।
8. सफल निविदाकारों को संस्थान के कार्य दिवस के दौरान लॉट/ढेरों को उठाने/हटाने/ढोने हेतु पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों/मजदूरों एवं उपयुक्त वाहनों को लगाना होगा।

मैं/हम.....जो.....
..... (स्थान) पर व्यवसाय करता हूँ/करते हैं, एतद्वारा लॉट/ढेर संख्या
..... को क्रय करने तथा उसे हटाने/उसके अपनयन हेतु निविदा में प्रस्तुत की गई
दरों/लगाई गई बोली पर तथा उपरोक्त एवं संलग्न निबंधन एवं शर्तों के अधीन अपने सहमति व्यक्त
करता हूँ/करते हैं।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

भा.सु.सं.सं./क्र.एवं भं./निपटान/2014/01

प्रस्ताव संरूप/प्रपत्र(निविदाकार द्वारा भरा जाए/के उपयोगार्थ। प्रत्येक लॉट/ढेर हेतु अलग संरूप/प्रपत्र का उपयोग किया जाए)

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान में साइट पर कबाड़/स्क्रेप सामग्री की डिलिवरी हेतु प्रस्ताव।

- | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | लॉट/ढेर संख्या: | 04 |
| 2. | लॉट विवरण: | विद्युतीय स्क्रेप |
| 3. | सन्निकट/लगभग मात्रा: | |
| 4. | (i) बयाना जमा/राशि: | 01 लॉट |
| | (ii) डिमांड ड्राफ्ट संख्या: | _____ |
| 5. | प्रस्तावित बोली/दर (अंकों में): | ₹ _____ |
| | प्रस्तावित बोली/दर (शब्दों में): | _____ मात्र |
| 6. | विक्रय/बिक्री कर: | वैट 13.5% की दर से |
| 7. | अन्य टैक्स व शुल्क, यदि कोई हो: | लागू नहीं |
| 8. | टैक्स व शुल्क को मिलाकर कुल लागत: | ₹ _____ |
| 9. | क्रेता का नाम: | _____ |
| | फ़र्म का नाम: | _____ |
| | पता: | _____ |
| | | _____ |
| | | _____ |
| | टेलीफ़ोन नं: | _____ |
| | मोबाइल नं: | _____ |
| | फ़ैक्स नं: | _____ |
| | ईमेल आइ.डी.: | _____ |

नोट:

9. डिलिवरी के समय कबाड/स्कैप सामग्री के विक्रय पर यथा लागू विक्रय/बिक्री कर तथा अन्य टैक्स आरोप्य होंगे।
10. प्रस्तुत की गई निविदाएँ उन्हें खोलने की तिथि से कम से कम 90 दिनों की अवधि तक स्वीकार्यता हेतु वैध मानी जाएंगी।
11. सफल निविदाकारों को भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान द्वारा निर्देश प्राप्त होंगे।
12. सफल निविदाकारों को संस्थान के कार्य दिवस के दौरान लॉट/ढेरों को उठाने/हटाने/ढोने हेतु पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों/मजदूरों एवं उपयुक्त वाहनों को लगाना होगा।

मैं/हम.....जो.....
..... (स्थान) पर व्यवसाय करता हूँ/करते हैं, एतद्वारा लॉट/ढेर संख्या
..... को क्रय करने तथा उसे हटाने/उसके अपनयन हेतु निविदा में प्रस्तुत की गई
दरों/लगाई गई बोली पर तथा उपरोक्त एवं संलग्न निबंधन एवं शर्तों के अधीन अपने सहमति व्यक्त
करता हूँ/करते हैं।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

भा.सु.सं.सं./क्र.एवं भं./निपटान/2014/01

बिक्री हेतु लॉट का विवरण

लॉट सं०	आइटम का विवरण	मात्रा	अग्रिम धनराशि ₹ में	टिप्पणी
01	इलैक्ट्रानिक आइटम स्कैप (जिसमें कि मॉनिटर, सी०पी०यू०, फ्रीज, टेलीविजन आदि सम्मिलित है।)	01 लॉट	₹ 5,000	
02	पुराना फर्नीचर एवं लकड़ी का स्कैप (जिसमें कि कुर्सिया, मेजें एवं अन्य लकड़ी का सामग्री आदि सम्मिलित है।)	01 लॉट	₹10,000	
03	धातु का स्कैप (जिसमें कि बर्तन, धातु फ्रेम, पुरानी अलमारीयां एवं रैक आदि सम्मिलित है।)	01 लॉट	₹10,000	
04	विद्युतीय स्कैप (जिसमें कि विद्युतीय पैनल एवं यू०पी०एस० एवं एयर कंडीशनर आदि सम्मिलित है।)	01 लॉट	₹10,000	

नोट:

1. लॉट संख्या 01 एवं 03 पर 5% की दर से अतिरिक्त कर (वैट) लागू होगा।
- 2- लॉट संख्या 02 एवं 04 पर 13.5% की दर से अतिरिक्त कर (वैट) लागू होगा।